

वर्तमान समाज में स्त्रियों की स्थिति (हिन्दी कहानियों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अशोक कुमार भीणा

प्रवक्ता हिन्दी

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय,

अलवर, राज.

शोध सार-

वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री की सामाजिक हैसियत का दोहरा प्रतिबिम्ब विद्यमान है। आधुनिक स्त्री की आर्थिक स्वावलम्बन, स्वतंत्र चिन्तन, स्वच्छन्द भाव एवं विकास पथ पर बढ़ते चरण उसकी मजबूत हैसियत को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन परम्परागत मान्यताओं, रुढ़ अवधारणाओं एवं पुरुषवादी अहं से जकड़ती स्त्री की मानसिकता एवं भावनात्मकता समाज में उसकी कमज़ोर सत्ता का प्रतिफलन है। यही कारण है कि वर्तमान समाज स्त्री की स्थिति को लेकर अनेक सवालों से घिरा हुआ है। प्रस्तुत शोध आलेख समाज में मौजूद स्त्री की सामाजिक हैसियत के दोनों स्वरूपों को मूल्यांकित करने का प्रयास है।

बीज शब्द— स्त्री, आधुनिकता, परम्परागत, आन्दोलन, संघर्ष, चेतना, हिन्दी कहानियाँ

JETIR

वर्तमान भारत में स्त्री का मुकित संघर्ष, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा समकालीन सामाजिक व्यवस्था का लोकप्रिय मुददा एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री आन्दोलन, स्त्री विमर्श पर चर्चाएँ सुनकर कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आखिर ऐसी चर्चाओं का औचित्य क्या है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अनेक सम्मेलनों एवं संगठनों में विचार-विमर्श करने के पश्चात भी हम समाज में नारी की स्थिति के बारे में एक स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुँच पाते हैं। वर्तमान समाज में स्त्री की हैसियत विरोधाभासी है क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज में जहाँ एक ओर स्त्री का प्रगतिशील एवं विकासमय रूप दिखाई देता है तो दूसरी ओर दुर्दशा एवं उत्पीड़न का संवेदनशील स्वरूप भी परिलक्षित होता है। आज समाज में स्त्री परम्परागत एवं रुढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को नकार कर आर्थिक स्वावलम्बन के साथ प्रभावी एवं प्रतिष्ठित वर्चस्व तो प्राप्त कर रही है परन्तु असहाय, उपेक्षित एवं उत्पीड़ित नारी का स्वरूप भी इसी आधुनिक समाज की हकीकत है। आधुनिक नारी स्वतंत्र चिंतन एवं स्वच्छन्द भाव के साथ जीवनयापन की इच्छा तो रखती है लेकिन पुरुष सत्ता के वर्चस्व तले दबी नारी की इच्छा आज भी निराशा और घुटन में ही तब्दील होती है। स्त्री की आजादी की वास्तविकता उसके मुकित संघर्ष तक ही सीमित है। यह सच है कि कानूनी अधिकारों एवं आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से अवलोकन करने पर आधुनिक नारी जीवन को सफल बनाने के पश्चात भी सार्थक नहीं बना पाती है। पुरुष अहम द्वारा स्त्री पर किये जाने वाले अत्याचार मध्ययुगीन समाज की रुढ़िवादी मान्यताओं द्वारा किये गये अत्याचार की ही भाँति हैं, फर्क है तो बस इतना कि स्त्री पर वे चोटें बाह्य थीं और अहं द्वारा पहुँचायी गयी चोट आन्तरिक। विडम्बना तो देखिए कि जिस समाज में कन्यादान जैसी पुण्यमय परम्परा का निर्वाह किया जाता है वहाँ कन्या भ्रूण हत्या जैसा कृत्स्तत एवं पापाचार पूर्ण कार्य भी हो रहा है। समाज में नारी की भागीदारी को बढ़ाने हेतु स्त्री शिक्षा एवं अधिकारों से संबंधित योजनाओं, संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण तो किया जा रहा है परन्तु आधारभूत स्थितियाँ अभी भी नहीं बदल पा रही हैं। ‘यह कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि पुरुष के साथ समानता की घोषणाओं, कार्यक्रमों व कानूनों के बीच पति को परमेश्वर मानने की मानसिकता में हम जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहती हैं’¹ समाज में स्त्री के दैवीय स्वरूप की उपासना का प्रचलन आज भी है लेकिन स्त्री के दैवीय गुणों की उपेक्षा कर घरेलू हिंसा एवं अत्याचारों से स्त्री का लहुलहान चेहरा भी इसी समाज में दिखाई देता है। ‘यौनशोषण एवं उत्पीड़न का मामला जब भी अखबारों की सुर्खियों में स्थान प्राप्त करता है। महिला संगठन उसके विरोध में आवाजें उठाकर पुरुष प्रधान समाज को कोसने में कोई कसर उठाकर नहीं रखते हैं तथा दोषियों को उनकी किसी प्रकार की हैसियत का ख्याल किये बिना दण्डित करने का विश्वास दिलाती हैं। इसके बाद होता कुछ भी नहीं है।’² समाज में स्त्री की इस स्थिति को देखकर उसको सशक्त कहना क्या उचित है? भले ही समाज में कुछ स्त्रियों ने अपनी योग्यता, कुशलता एवं प्रगतिशील विचारों से सामाजिक रुढ़ियों एवं कुरीतियों की गुलामी का विरोध कर अपनी स्थिति को समाज के सीमित दायरे से बाहर निकालकर अपने आप को सशक्त एवं मजबूत बनाया है लेकिन समाज में अधिकांश स्त्रियाँ आज भी शोषित एवं पीड़ित जीवन बिता रही हैं। समाज में इनकी हैसियत बहुत दयनीय है। कभी दहेज के लोभ में इनका शोषण होता है तो कभी इन्हें घरेलू हिंसा की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, पुरुष के मानसिक दबाव, अनासवित एवं बेरुखी से भी स्त्री को मानसिक यातना से गुजरना पड़ रहा है। स्त्री-पुरुष की समानता का दावा भले ही समाज में किया जा रहा है लेकिन व्यावहारिक रूप में पुरुष की अपेक्षा स्त्री की स्थिति गौण ही है। ‘स्त्री को प्रजनन करने या न करने का अधिकार नहीं मिला, न ही उसके प्रति लैंगिक पूर्वाग्रहों, न ही उसे इतरलिंगी सहवास की अनिवार्यताओं से मुकित मिली और न उसकी देह का शोषण खत्म हुआ। फिर बाजार ने यह सबलीकरण कैसे कर दिखाया?’³ समाज में स्त्री-पुरुष के सभी संबंधों में समान व्यवहार का अभाव अब भी विद्यमान है। आज कहा जा सकता है कि समाज में नारी उन्नति के पथ पर आगे अवश्य बढ़ रही है लेकिन समाज में उनकी हैसियत पुरुष के समकक्ष नहीं है। आज भी समाज में दबदबा पुरुष सत्ता का ही विद्यमान है। पुरुष द्वारा स्त्री को, कभी भावनात्मक भ्रमजाल में फँसाकर तो कभी दुष्प्रित्राता की हद पार करके शारीरिक उत्पीड़न द्वारा तो कभी अपमानजनक व्यवहार द्वारा स्त्री का शोषण किया जाता रहा है। यह भी सत्य है कि स्त्री, पुरुष के इन अत्याचारों के प्रति विरोध एवं विद्रोह का कड़ा रुख अपना रही है। कानून एवं प्रशासन की भागीदारी से उसकी स्थिति एवं विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्र एवं उन्नुक्त जीवन जीने की आकंक्षा स्त्री मानस में निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज स्त्री का प्रतिपक्ष पुरुष ही नहीं है, बल्कि वे जड़ीभूत रुढ़ियाँ, मान्यताएँ एवं परम्पराएँ भी हैं जिसके विरुद्ध वह अपनी प्रगति के लिए खड़ी होती है। स्त्री की इन कई कोशिशों के बावजूद भी समाज में उसके आत्मसंघर्ष, असंतोष, पीड़ा-घुटन का दौर अभी भी थमा नहीं है।

आधुनिक भारतीय समाज में नारी की इस विरोधाभासी स्थिति को हिन्दी कहानीबद्ध किया है। इन्होंने अपनी कहानियों में परिवार व समाज में स्त्री के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हैसियत का प्रतिबिम्ब तो प्रस्तुत किया है। विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों पर स्त्री की

हैसियत के भिन्न-भिन्न स्वरूप इनकी कहानियों में दिखाई देते हैं। आधुनिक स्त्री की सामाजिक हैसियत का सच प्रस्तुत करने वाली इन कहानियों में स्त्री जीवन का सत्य प्रस्तुत हुआ है।

वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज की गरीब, अशिक्षित एवं दलित स्त्री अनेक शोषण एवं अत्याचारों के बीच असहाय, बेबस, उत्पीड़ित व दयनीय जीवन बिताती नजर आती है। परम्परावादी सोच एवं चिन्तन में पली-बढ़ी ग्रामीण स्त्री झूलती-उलझती, टूटती-घुटती जिन्दगी को आज भी भाग्य एवं नियति समझकर स्वीकार कर लती है। ग्रामीण समाज की गहराइयों में झाँकने की कोशिश करने पर मालूम पड़ता है कि स्वतंत्रता व समानता का अधिकार व कानूनी न्याय एवं आज भी ग्रामीण स्त्री की पहुँच से दूर है। समाज में धोखे एवं बड़यन्त्र का शिकार होती ग्रामीण महिला जीवन में अनेक संघर्षों का निर्वाह करती है। हिन्दी की सुप्रसिद्ध कथा लेखिका चन्द्रकांता की बहुप्रशसित कहानी 'दहलीज पर न्याय' में ग्रामीण परिवेश की स्त्री के संघर्ष का सच भली-भाँति देखा जा सकता है। कहानी की नायिका रुक्की का एक ओर गाँव के महत के अंधिविष्यास, सामाजिक रुद्धियों एवं कुरीतियों की भयावहता से गुजरना पड़ता है तो दूसरी ओर कानूनी दायित्व निभाने वाले पुलिसकर्मियों की नाजायज हरकतों का भी सामना करना पड़ता है। समाज के दुराचारी लोगों के बीच अपनी अस्मिता की सुरक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। "पुलिसवाला उसे बीच-बीच में टोकता कुछ-कुछ लिखता गया और हर वाक्य के बाद सवाल पूछता रहा, "महत नहीं, महत जी कहो। क्या कहा महत जी ने? ओ-हो-हो-हो!" अचानक उसे हँसी का दौरा-सा पड़ गया और वह उठकर रुक्की के पास आ गया, "दस बेटे जनेगी कहा? ओ-हो-हो-हो! गलत नहीं कहा मैं तो कहूँ बीस छोरे जनेगी तू..... ऐसी कसी-तनी देह है तेरी" बात करते वह रुक्की से छेड़छाड़ करने लगा।¹⁴ यह कहानी आधुनिक भारतीय समाज में स्त्री से जुड़ा यह सत्य अवश्य प्रस्तुत करती है कि आज भी स्त्री-जीवन संघर्ष का पर्याय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्त्री का अस्तित्व परिवार व समाज के ही अधिक अधीन है। वहाँ आज भी महिलाओं की जीवनशैली में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। घरेलू काम और बच्चों के लालन-पालन के पारम्परिक कामकाज के अतिरिक्त उसकी परिवार व समाज में हैसियत कुछ खास नहीं मानी जाती है। स्त्री द्वारा अपने अधिकारों से संबंधित थोड़ी सी जागरूकता दिखाने पर 'पॉवर वुमेन' के खिलाफ वहाँ आक्रामक प्रतिक्रिया फूट पड़ती है। ग्रामीण स्त्री की हैसियत का यही सच लेखिका नीलिमा सिन्हा की कहानी 'लड़का खुश है' में उद्घाटित हुआ है। कहानी की नायिका रामरक्खी का ब्याह उसके पिता द्वारा दहेज की शर्तों पर तय कर दिया जाता है पर दहेज की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण रामरक्खी को विवाह के चार माह पश्चात ही ससुराल से पितृगृह भेज दिया जाता है। अपने ससुर रामनरैन के अपमानजनक व्यवहार से रामरक्खी का स्वाभिमान आहत होता है और वह वापस ससुराल जाने से इनकार कर देती है। रामरक्खी के द्वारा तलाक का प्रस्ताव रखने पर परिवार व समाज के लोगों द्वारा उसकी शिक्षा व संस्कारों पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। "तलाक"! सारा गाँव जैसे सकते में आ जाता है। मातादायी के गीत कंठ में वापस समा जाते हैं.....ऐसा कभी सुना गया है क्या?.....कलजुग! घोर कलजुग इसी को कहते हैं.....इसिलिए लड़की जात को पढ़ाना नहीं चाहिए.....चार अच्छर पढ़ गई तो बाप-ससुर के महमंड पर चढ़ कर नाचने लगी.....छिया रे!.....ऐसा कभी हुआ कि लड़की नैहर में पड़ी रहे। बेटी और धरती क्या कभी बिना जाते रहे हैं? अनर्थ घोर अनर्थ!अब तो परलय आ ही जाना चाहिए इस पृथी पर!¹⁵ रामरक्खी के स्वाभिमान का उनके लिए कोई महत्व नहीं था, महत्व था तो बस परम्पराओं का और समाज की सड़ी-गली मान्यताओं का। कहानी की नायिका रामरक्खी आज भी ग्रामीण स्त्री की नर के अधीनस्थ वाली हैसियत को उद्घाटित करती है।

ग्रामीण क्षेत्र ही वहाँ शहरी व सम्पन्न परिवारों में भी स्त्री की हैसियत उपभोग की वरतु के समकक्ष ही अधिक प्रतीत होती है। आधुनिक समाज के कई सम्पन्न परिवारों में स्त्री को लाभ, झूठी शान एवं निजी स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र माना जाता है। वहाँ भी समर्पण, संतुलन, समायोजन ही स्त्री का जीवन है। लेखिका सुषमा मुनीन्द्र ने अपनी 'गणित' शीर्षक कहानी में ऐसे ही सम्पन्न परिवारों की स्त्री की हैसियत की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है। कहानी के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के आरोप में फँसे राजनेता सत्यवान अपने पद-प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी धर्मपत्नी सर्वमंगला को राजनीति में उतारते हैं परन्तु सर्वमंगला के चुनाव में जीत हासिल करने के कुछ ही समय पश्चात सत्यवान पत्नी पर राजनीति से त्यागपत्र देने के लिए दबाव डालता है क्योंकि उसे डर था कि पत्नी का बढ़ता वर्चस्व उसके राजनीतिक जीवन में कही बाधा उत्पन्न न कर दे और पाँच साल के पश्चात शायद राजनीति में उसे दोबारा मौका ही नहीं मिले। सत्यवान अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पत्नी की मनोभावनाओं से खिलाड़ करता है और मजबूर कर देता है सर्वमंगला को त्यागपत्र देने के लिए। जिस पति की सफलता, बल, सामर्थ्य के लिए वह मंगलकामना करती है, जिसे शांति का वातावरण उपलब्ध कराती रही है, गली-गली, द्वार-द्वार घूम कर प्रचार कार्य करती रही है, उन्हें उसकी सफलता ग्राह्य नहीं हो रही है। सीट सुरक्षित रखने के प्रलोभन में उसे चुनाव लड़ा दिया और अब त्यागपत्र मांग रहे हैं। सर्वमंगला का जी चाहा, चीख-चीखकर सबको एकत्र करे और बताए कि मेरे पति के उदारीकरण के खेल में दबे-ढके विद्रोह के स्वर देखो, कितनी जल्दी मुखर हो गये। यह स्त्री का शोषण नहीं तो क्या है? स्त्रियों को नितांत अपने ढंग से वरस्तु की भाँति इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया इन पुरुषों को?¹⁶ यह सच है कि समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है लेकिन स्त्री के जीवन की अर्थवत्ता नहीं बदल रही है। इस कहानी की निम्न पंक्तियाँ वर्तमान स्त्री की हैसियत बखूबी प्रकट करती हैं। नारी को 'आदिशक्ति' भले ही कहा गया हो, पर वह पुरुष के इस 'अंतिम निर्णय' की लक्षण रेखा को कभी नहीं लाँच पाती। घर से बाहर वह भले ही अपने स्वर मुखर कर ले, मगर घर की ढ़ीयों चढ़ते हुए उसकी सारी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता चौखट के बाहर रह जाती है। उससे संबंधित नितांत व्यक्तिगत निर्णय भी पुरुष करते हैं, अन्यथा घर टूटता है और दोष आरोपित होता है स्त्री पर!¹⁷

आधुनिक भारतीय समाज में स्त्री पर होने वाले शारीरिक कष्टों एवं यातनाओं को तो कानूनी प्रावधानों से प्रतिबिम्बित किया जा रहा है, लेकिन पुरुषवादी अहं द्वारा स्त्री को दी जाने वाली मानसिक पीड़ा एवं अपमान रूपी घाव आज भी उतने ही हो रहे हैं। आज भी अनेक दमित मानसिकता वाले पुरुषों की नजर में स्त्री की हैसियत उसकी देह तक सीमित है, स्त्री के मान-सम्मान की सत्ता को वह स्थीकार नहीं करना चाहता। यही कारण है कि जाने-अनजाने वह नारी से ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने लगता है कि नारी अन्तर्मन विचलित हो उठता है। पुरुष के कुछ अमर्यादित प्रश्न भी स्त्री संवेदना पर कुठाराघात करते हैं, उसके मन को आहत करते हैं। गिरिराज किशोर की कहानी 'कतरन' की विभा का पति अन्तर्गत क्षणों में भी उसके अतीत को लेकर कुछ अमर्यादित सवाल करता है जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। 'उन्होंने पहली रात को उसका वक्ष छते समय पूछा था पहले किसी ने नहीं छुआ, वह स्तूप रह गई थी, पर गरदन झुकाए - झुकाए गरदन हिलाकर मना कर दिया था हालाँकि कहने के लिए उसके दिमाग में कई बातें आई थीं, उसे लगा था पूछने का यह अंदाज उसी से मिलता जुलता है ये बोले 'ताज्जुब है विनय ने तुमसे विवाह की इच्छा जाहिर नहीं कि इतनी सुंदर और लाखों में एक.....' उसने आँखें बंद कर ली थीं उसकी बंद पलकों के नीचे पानी की एक रेखा खिंच गई थी प्यार करने का जो अंतर्भूत बना हुआ था वह अंतर्धान हो गया था।¹⁸ कहानी में यह स्पष्ट उद्घाटित हुआ है कि आधुनिक पुरुष स्त्री से शारीरिक और आर्थिक संतुष्टि के पक्ष पर अधिक दृष्टिपात कर रहा है, वह यह नहीं समझ रहा है कि नारी हृदय भावनाओं से भरा हुआ सागर है इसी कारण वह पुरुष से भावनात्मक लगाव की उम्मीद रखती है, पुरुष में अपने प्रति प्रेम एवं आसक्ति के भाव देखना चाहती है, परन्तु पुरुष की असंवेदनशीलता से उसके भावनारूपी सागर में मंथन पैदा हो जाता है। पुरुष की उपभोगवादी दृष्टि, वैयक्तिकरण, स्वार्थवादी प्रवृत्ति उसकी संवेदनाओं को दमित कर देती है।

वर्तमान समय में स्त्री को पुरुष द्वारा वह भावनात्मक संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसमें पुरुष अपना अहं त्यागकर स्त्री के प्रति आसक्ति भाव को अपनाये ताकि बरसों से नारी जीवन जिन संवेदनाओं को अपनाये हुए हैं वह पुष्पित व विकसित हो न कि दमित। विडम्बनीय रिथित यह है कि अनेक पुरुषों के मन में स्त्री की देह अहमीयत रखती है, स्त्री की संवेदना नहीं। यही कारण है कि दाम्पत्य जीवन में पुरुष की संवेदनात्मक दूरी से स्त्री जीवन में खालीपन एवं अकेलापन अधिक महसूस करती है। कहानीकार सुरेन्द्र वर्मा की कहानी 'घर से घर तक' की

नायिका बुलू पति रंजीत वं बच्चों के साथ रहते हुए भी खालीपन महसूस करती है और जीवन के इस अकेलेपन एवं खालीपन को वह पराये पुरुष से नाजायज संबंध जोड़कर पूरा करना चाहती है। ‘सुबह से शाम तक का खालीपन। रंजीत और शालू के न होने पर एकाकीपन की कचोट और उनके होने पर भी अक्सर मन के किसी कोने में उसी अकेलेपन की कसक। फ्लैट में इधर—से—उधर का निरुद्देश्य चक्कर। इस कुर्सी पर बैठना। उस कुर्सी के सामने खड़े हो जाना।’⁹ स्त्री के जीवन में प्रेम एवं संवेदना की यह रिक्तता क्यों? नारी का यह संवेदनात्मक दमन न तो पुरुष के लिए हितकारी है, न भारतीय समाज के लिए। स्त्री प्रेम एवं संवेदना की अवहेलना की ऐसी ही कसक हिन्दी की सुप्रसिद्ध लेखिका मनू भंडारी की कहानी ‘कील और कसक’ में अभिव्यक्त हुई है। कहानी की नायिका रानी शादी के पश्चात् पति कैलाश से प्रेम एवं भावनात्मक लगाव के अरमान एवं उम्मीद हृदय में संजोये रखती है परन्तु प्रेस में काम करने वाले कैलाश को रानी की इन मनोभावनाओं की तनिक भी परवाह नहीं रहती है। कैलाश की रुखी और कर्कश वाणी रानी के आवरण को बुरी तरह चीर डालती है। “इतनी देर जागने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरा तो काम ही ऐसा है। आज भी मैं जबरदस्ती बुला लाई, अब सवेरे तक सारा काम खत्म न हुआ तो मुसीबत आ जाएगी” और वह रानी के अस्तित्व को भूलकर सो गया। रानी को लगा, वह अपने पास सोए इस आदमी का मुँह नोच ले, अपने बाल नोच ले, फूट—फूटकर रो पड़े और आँसुओं से सारे घर को और नीचे ही निरन्तर घड़—घड़ करने वाले इस प्रेस को डुबो दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और खामोशी से आँसू बहाते और सर्द आहें भरते—भरते रानी सो गई।’¹⁰ पति का यह उपेक्षापूर्ण बर्ताव रानी के हृदय में कील की भाँति चुभता रहता है और वह भावनात्मक स्तर पर इस तरह कमजोर हो जाती है कि देवर समान शेखर से मिलने वाले संवेदनात्मक व्यवहार को प्रेम समझकर उसकी और आकर्षित होती है। अपने हृदय की शून्यता को वह शेखर के साथ से भरने की चेष्टा करती है लेकिन शेखर की शादी के पश्चात् उसकी यह आकांक्षा अधूरी ही रहती है। इस कसक से रानी का हृदय आक्रोशित हो उठता है। शेखर की पत्नि के साथ रानी के निरन्तर होते झगड़ों से तंग होकर कैलाश रानी के साथ उस घर को छोड़ देता है। शेखर का साथ तो छूट जाता है, लेकिन रानी के हृदय में प्रेम की वह कसक शेष रहती है। “कसकते मन को लेकर रानी उत्तर पड़ी आँखें इस समय भी भरी थी और उससे भी ज्यादा भरा था उसका मन।”¹¹ कहानी की नायिका रानी के जीवन का खालीपन स्त्री—संवेदना की पुरुष जीवन में महत्व की सच्चाई को उदघासित करती है। दामपत्य जीवन में स्त्री और पुरुष का परस्पर स्नेहिल संबंध और अंतरंगता का सुख हर इंसान की बुनियादी आवश्यकता है परन्तु आज भी अनेक पुरुष स्त्री को स्व पर अधिकार देने से हिचकिचाता है। क्या पुरुष के जीवन में स्त्री की हैसियत शरीर की भूख मिटाने के साधन तक ही सीमित है। इन्हीं सच्चाइयों व वास्तविकता का उद्घाटन उक्त कहानी में किया गया है।

वर्तमान समाज में स्त्री आन्दोलन और स्त्री स्वतंत्रता के नारे लगाने से अधिक महत्व इस बात का है कि स्त्री को पुरुष के बराबर मान—सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त हो। यद्यपि आधुनिक स्त्री ने पहले की अपेक्षा अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं साहसी बनाया है। अपने साथ होने वाले अनुचित अपराधों एवं अपमान का विरोध कर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है। स्त्री की सबलता का ऐसा ही स्वरूप कथा लेखिका सरला अग्रवाल की कहानी ‘आशीष’ में दिखाई देता है। कहानी की नायिका आशी न केवल अपने अनमेल विवाह को दृढ़तापूर्वक नकार देती है, अपितु प्रेमी द्वारा अन्यत्रा विवाह कर लेने पर भी मानसिक दृढ़ता व साहस के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। “माँ—बाप यहाँ बच्चों के स्वयं चुनाव की ओर खुशियों की परवाह करते ही कहाँ हैं? और फिर, यदि वह मुझे पहले से ही शादी करने से इनकार कर देते तो ही क्या मैं अपनी मर्जी के विरुद्ध उस जगह विवाह करने को राजी हो जाती? मैंने शेखर जी से प्यार किया है, प्यार करती रहूंगी पहला और अन्तिम। अब तो मुझे सर्विस मिल गई है। मैं नौकरी के साथ आगे भी पढ़ती रहूंगी और जीवन मैं कुछ अच्छा अवश्य कर सकूंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी और से विवाह की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती”¹² आशी का यह साहसी स्वरूप वर्तमान स्त्री के मजबूत मनोबल एवं सुदृढ़ स्थिति का परिचायक है।

सरला अग्रवाल की कहानी ‘तोड़ने की पहल’ के अन्तर्गत भी आधुनिक नारी का समाज में वांछित परिवर्तित स्वरूप परिलक्षित होता है। कहानी की नायिका स्वाति के समक्ष जब दहेज के लालची लड़के वाले पक्ष की ओर से उसके पिता के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करते रहते हैं तो स्वाति अपने पिता का मनोबल बढ़ाकर विवाह से इनकार करने में पल भर के लिए भी संकोच नहीं करती और दृढ़ मनोबल के साथ दूसरी जगह अपना विवाह सम्पन्न करवाती है। ‘पत्रा दिवाकर जी ने पढ़ा, स्वाति ने भी पढ़ा, सभी के चेहरे पर दृढ़ता के भाव उभरे थे। दिवाकर जी ने उत्तर दिया— क्षमा करें, मेरी लड़की है कोई गाय—भैंस नहीं, जो उसका मोल भाव किया जाए, नीलामी लगाई जाए। अब हम आपके यहाँ हरगिज अपनी लड़की नहीं देंगे।’¹³ स्वाति के ये मजबूत विचार वर्तमान स्त्री की मजबूत हैसियत को प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ: ग्रन्थ सूची—

¹ महिला सशक्तिकरण, मान चन्द खंडेला, प्रकाशक अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2002, पृ. सं. 06।

² वही, पृ. सं. 07।

³ हंस, जनचेतना का प्रगतिशील कथा मासिक—सम्पादक, राजेन्द्र यादव, अंक मार्च 2001, पृ. सं. 13।

⁴ दहलीज पर न्याय, चन्द्रकांता, प्रकाशक ज्ञान भारती, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1989, पृ. सं. 09।

⁵ इंडिया टूडे, साहित्य वार्षिकी, प्रकाशक व संपादक प्रभु चावला—वर्ष 2002, पृ. सं. 108।

⁶ हंस, जनचेतना का प्रगतिशील कथा मासिक, सम्पादक, राजेन्द्र यादव, अंक, 3 अक्टूबर 1997, पृ. सं. 52।

⁷ वही, पृ. सं. 53।

⁸ इंडिया टूडे—साहित्य वार्षिक, 1993—94, पृ. सं. 52।

⁹ कितना सुंदर जोड़ा, सुरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली—पृ. सं. 105।

¹⁰ एक पुरुष : एक नारी, राजेन्द्र यादव, मनू भंडारी, प्रकाशक हिन्दी पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पृ. सं. 107।

¹¹ वही, पृ. सं. 120।

¹² मुझे बेला से प्यार है, सरला अग्रवाल, प्रकाशक अयन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 60।

¹³ वही, पृ. सं. 161।